

201/2020

532/2020

प्रशासन गावों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 2033 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार सुखी शिवनाथ पुत्र शुराराम का जमाबन्दी 2075-78 का खता नं. 216 में शिवनाथ पुत्र शुराराम के आधा अर्ध (1/2) अर्ध परियोजना में शिवनाथ पुत्र शुराराम दर्ज है। जो कि शुद्ध किया जाना उचित है।

शिवनाथ पुत्र शुराराम
23/10/21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरक्षा की जाती है / की जाती है।

शिवनाथ
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला शुंभुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खोक्र	2075-78	216	शिवनाथ पुत्र शुराराम	शिवनाथ पुत्र शुराराम

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

248
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (शुंभुनू)
दिनांक :-

क्रमांक :- राजस्व/2020/383-857
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

248
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (शुंभुनू)